

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का गणेशपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम देवगढ़ के खता सं. 28, 86 में <sup>22</sup> ~~पटवारी~~ का नाम दिनेश मिश्रा हीतरलाल धारक है जो गरीब है। खतान दस्तावेज (आधार कार्ड) के अनुसार पटवारी का गरीब दिनेशकुमार मिश्रा हीतरलाल धारक है।  
अतः दिनेश मिश्रा हीतरलाल धारक के बजाय दिनेशकुमार मिश्रा हीतरलाल धारक किया जाना उचित है।

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत्त उमाजी डा. बोंडा

*[Signature]*  
दिनांक 01-11-2021

महोदय रिपोर्ट पटवारी के अनुसार ग्राम देवगढ़ के खता सं. 28, 86, 22 में दिनेश मिश्रा हीतरलाल के बजाय दिनेशकुमार मिश्रा हीतरलाल किया जाना उचित है।

रि. अ. नि. उमाजी डा. बोंडा  
31-10-2021

रिपोर्ट तहसीलदार, विजासिया

क्रमांक/सं. 21/08

दिनांक 1-11-2021

महोदयजी, निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी गणेशपुरा व ख. अ. नि. उमाजी डा. बोंडा व संलग्न दस्तावेज के अनुसार ग्राम देवगढ़ के खता सं. 28, 86, 22 में दिनेश मिश्रा हीतरलाल के बजाय दिनेशकुमार मिश्रा हीतरलाल को विवेक जांच की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार

के. ए. सताराम जी का रेको

अ. न. नि. उमाजी डा. बोंडा  
तहसील विजासिया जिला-भीलवाड़ा

पटवारी प. ट. गणेशपुरा व भू. अ. नि. उमाजी डा. बोंडा की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार विजासिया की स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर आवेदक दिनेशकुमार पुत्र हीतरलाल जाति धारक की ग्राम देवगढ़ के खता संख्या 28, 86, 22 में दिनेश पुत्र हीतरलाल जाति धारक के स्थान पर दिनेशकुमार पुत्र हीतरलाल जाति धारक किया जाता है।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
प्रशासनिक विभाग  
गणेशपुरा (भीलवाड़ा)  
दिनांक 01-11-2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, विजापूर  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान सदाम जी का बड़ा

—:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दिनेश पुत्र की रिपोर्ट तथा तहसीलदार विजापूर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-रा अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम देवताद तहसील विजापूर जिला गोलमूक की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में खाता संख्या 28, 86, 22 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	देवताद	28, 86, 22	दिनेश पुत्र छीतर लाल जाति - धाबड़ अंकित है।	दिनेश कुमार पुत्र छीतर लाल जाति - धाबड़ किया जाता है।



(सीमापूर अधिकारी) 2021  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, विजापूर

सं.सं. - 157/21

दिनांक :-

तलिपि :-

1. तहसीलदार, विजापूर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री दिनेश कुमार पुत्र छीतर लाल धाबड़ को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(सीमापूर अधिकारी) 2021  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहा.कलक्टर, विजापूर